मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

क्र.–12408 / NREGS-MP / **NR-6** / 09 भोपाल, दिनांक 17 / 9 / 2009

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला .... (समस्त जिले)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला पंचायत, जिला .... (समस्त जिले)
   मध्यप्रदेश।

विषयः– सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही करने तथा आय–व्यय का ब्योरा सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति में प्रस्तुत करने विषयक।

––––––

1– भारत का राजपत्र दिनांक 31.12.08 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की जाना है। यह कार्यवाही ग्राम स्तर पर गठित ''सामाजिक अंकेक्षण समिति'' के द्वारा की जावेगी। इस संबंध में परिषद के पत्र क्र. 8968 दिनांक 11.07.09 से विस्तृत दिशा निर्देश आपकी ओर प्रेषित किये जा चुके हैं।

2– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत जिला स्तर से रोजगारमूलक कार्यों के लिये राशि का प्रवाह किया जाता है। इस हेतु पंचायत राज संस्थाओं, विभिन्न लाईन विभाग, अशासकीय संगठन एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को जिला स्तर से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

जिला स्तर, जनपद पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगारमूलक कार्यों हेतु एवं प्रशासनिक राशि में व्यय का मदवार विस्तृत विवरण आगामी माह में जिला एवं जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त व्यय राशि का विवरण वित्तीय वर्ष 08–09 एवं 09–10 (माह अगस्त 2009 तक) से संबंधित होगा। इसी प्रकार भविष्य में प्रतिमाह सभा की बैठक के अवलोकन हेतु विगत माह तक का व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाये।

आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

पृ. क्र.– 12409/NREGS-MP/ **NR-6**/09 भोपाल, दिनांक 17/9/2009

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विन्धांचल भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संभागायुक्त, संभाग .... (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सचिव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद